



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 माघ 1947 (श10)
(सं० पटना 96) पटना, सोमवार, 2 फरवरी 2026

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना
6 जनवरी 2026

सं० सं०-15/औ०-14-17/2017/स्वा० 10 (15A)—औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 एवं नियमावली-1945 के नियम-59(1) तथा 67(A)(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-769(15), दिनांक-01.07.2025 द्वारा अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान (वेतन स्तर-12) में उच्चतर प्रभार प्राप्त निम्नांकित उप औषधि नियंत्रक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर उप औषधि नियंत्रक के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है :-

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	नव पदस्थापन स्थल/कार्यालय
1	2	3	4
1.	श्रीमती सरिता कुमारी, उप औषधि नियंत्रक (सम्प्रति सहायक औषधि नियंत्रक, सीतामढ़ी)	दरभंगा	सरण प्रमंडल, छपरा
2.	श्रीमती कमला कुमारी, उप औषधि नियंत्रक (सम्प्रति सहायक औषधि नियंत्रक, नवादा)	नालंदा	मुख्यालय, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, शेखपुरा, पटना

2. उक्त पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वे प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बगैर अधिसूचित स्थान पर अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर योगदान/प्रभार ग्रहण कर अनुपालन प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
हिमांशु शर्मा,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 96-571+10-डी0टी0पी0
Website: : <https://egazette.bihar.gov.in>